पत्रांक–2ब०/जला०–01–56/2016 149 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, सिलाव

पटना, दिनांक–21-3-18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, सिलाव क्षेत्रान्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय योजना के तहत 5500 घरों में नल जल संयोजन हेतु ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश सं०– 134, दिनांक– 25.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 135, दिनांक– 25.09.2016 के द्वारा नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत 4840 घरों में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹510.10696 लाख की योजना स्वीकृत करते हुए राज्यांश मद में ₹61.25665 लाख आवंटित की जा चुकी है। उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 द्वारा ₹29.17473 लाख आवंटित की गई थी। साथ ही विभागीय राज्यादेश सं०– 298, दिनांक– 24.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 299, दिनांक– 24.03.2017 द्वारा ₹71.20907 लाख आवंटित की गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत राज्यांश मद में कुल ₹161.64045 लाख आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव के पत्रांक– 1296, दिनांक– 26.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत, सिलाव में भु–गर्भीय जल स्तर की समस्या है तथा लगभग 300 फीट की गहराई में भी भू–गर्भीय जल स्तर नहीं है। इस स्थिति में नगर पंचायत, सिलाव में किसी अन्य स्थल से पाईप के माध्यम से पेयजल लाकर पेयजलापूर्ति की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 7063, दिनांक– 30.10.2017 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर पंचायत, सिलाव में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मुख्य अभियंता (नागरिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 02, दिनांक– 02.01.2018 द्वारा नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) मात्र है। इसके अन्तर्गत 5500 घरों में नल जल कनेक्शन के साथ योजना का कार्यान्वयन

किया जाना है। योजना में 05 वर्षों का रख–रखाव संबंधित एजेंसी द्वारा तथा उसके पश्चात् नगर पंचायत, सिलाव द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. उक्त प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि योजना की प्राक्कलित राशि ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना से तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र आवंटित की जाएगी। साथ ही विभागीय राज्यादेश सं०– 134, दिनांक– 25.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 135, दिनांक– 25.09.2016 के द्वारा नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत स्वीकृत ₹510.10696 लाख की योजना को रद्द करते हुए इस योजना के तहत नगर पंचायत, सिलाव को उपलब्ध करायी गयी राज्यांश मद की राशि ₹161.64045 लाख का उपयोग भी इस नई योजना में किया जाएगा। नगर पंचायत, सिलाव के पास उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध होने वाली 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत जलापूर्ति मद में कर्णांकित राशि का भी उपयोग इस योजना के लिए किया जाएगा। तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी, सिलाव को इस संबंध में आवश्यक निदेश दिये जाएगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राज्य योजना मद से भी राशि आवंटित की जाएगी।

4. तद्नुसार नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ₹510.10696 लाख की योजना को रद्द किया जाता है तथा नगर पंचायत, सिलाव में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०–148, दिनांक–21-3-18 के आलोक में राज्य योजना से तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	**नगर पंचायत, सिलाव**	नगर पंचायत, सिलाव में हर घर नल का जल योजना के तहत 5500 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	2976.093	2976.093	100.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **तदुपरांत चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. उक्त आवंटित राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0104– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960104 विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

11. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

(i) योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर पंचायत, सिलाव द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) विभागीय पत्रांक– 6170, दिनांक– 13.09.2017 द्वारा निजी बोरिंग से नल जल प्राप्त करने वाले घरों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत नल जल संयोजन उपलब्ध नहीं कराने का निदेश निर्गत है।

(iv) योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

15. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि आवंटित की गई है।

16. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–56/2016 149 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21.3.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

आना।

पत्रांक–2ब०/जला०–01–56/2016 148 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 21-3-18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, सिलाव क्षेत्रान्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय योजना के तहत 5500 घरों में नल जल संयोजन हेतु ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश सं०– 134, दिनांक– 25.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 135, दिनांक– 25.09.2016 के द्वारा नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत 4840 घरों में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹510.10696 लाख की योजना स्वीकृत करते हुए राज्यांश मद में ₹61.25665 लाख आवंटित की जा चुकी है। उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय राज्यादेश सं०– 142, दिनांक– 30.03.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 143, दिनांक– 30.03.2016 द्वारा ₹29.17473 लाख आवंटित की गई थी। साथ ही विभागीय राज्यादेश सं०– 298, दिनांक– 24.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 299, दिनांक– 24.03.2017 द्वारा ₹71.20907 लाख आवंटित की गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत राज्यांश मद में कुल ₹161.64045 लाख आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव के पत्रांक– 1296, दिनांक– 26.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत, सिलाव में भु–गर्भीय जल स्तर की समस्या है तथा लगभग 300 फीट की गहराई में भी भू–गर्भीय जल स्तर नहीं है। इस स्थिति में नगर पंचायत, सिलाव में किसी अन्य स्थल से पाईप के माध्यम से पेयजल लाकर पेयजलापूर्ति की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 7063, दिनांक– 30.10.2017 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर पंचायत, सिलाव में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मुख्य अभियंता (नागरिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 02, दिनांक– 02.01.2018 द्वारा नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) मात्र है। इसके अन्तर्गत 5500 घरों में नल जल कनेक्शन के साथ योजना का कार्यान्वयन

किया जाना है। योजना में 05 वर्षों का रख–रखाव संबंधित एजेंसी द्वारा तथा उसके पश्चात् नगर पंचायत, सिलाव द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. उक्त प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि योजना की प्राक्कलित राशि ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना से तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र आवंटित की जाएगी। साथ ही विभागीय राज्यादेश सं०– 134, दिनांक– 25.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०– 135, दिनांक– 25.09.2016 के द्वारा नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत स्वीकृत ₹510.10696 लाख की योजना को रद्द करते हुए इस योजना के तहत नगर पंचायत, सिलाव को उपलब्ध करायी गयी राज्यांश मद की राशि ₹161.64045 लाख का उपयोग भी इस नई योजना में किया जाएगा। नगर पंचायत, सिलाव के पास उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध होने वाली 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत जलापूर्ति मद में कर्णांकित राशि का भी उपयोग इस योजना के लिए किया जाएगा। तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी, सिलाव को इस संबंध में आवश्यक निदेश दिये जाएगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राज्य योजना मद से भी राशि आवंटित की जाएगी।

4. तद्नुसार नगर पंचायत, सिलाव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ₹510.10696 लाख की योजना को रद्द किया जाता है तथा नगर पंचायत, सिलाव में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु ₹2976.093 लाख (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना से तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	**नगर पंचायत, सिलाव**	नगर पंचायत, सिलाव में हर घर नल का जल योजना के तहत 5500 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	2976.093	2976.093	100.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **तदुपरांत चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त

विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0104– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960104 विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

11. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

(i) योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तो के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर पंचायत, सिलाव द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) विभागीय पत्रांक– 6170, दिनांक– 13.09.2017 द्वारा निजी बोरिंग से नल जल प्राप्त करने वाले घरों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत नल जल संयोजन उपलब्ध नहीं कराने का निदेश निर्गत है।

(iv) योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

15. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि आवंटित की गई है।

16. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/जला०–01–56/2016 के पृष्ठ सं०–...34..../टि० पर दिनांक–20.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–...35.........../टि० पर दिनांक–20.03.2018 को प्राप्त है।

17. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–56/2016 148 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–21-3-18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद